छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1016/2007

1. श्री अनिल नेभवाणी, – *अपीलार्थी*
पार्षद, नगर पंचायत, आरंग,
जिला– रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय नगर पंचायत, आरंग
जिला– रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 30 अप्रैल, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी अनिल नेभवाणी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 24.07.2007 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पंचायत, आरंग, जिला–रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर अपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 01.10.2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर भी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.10.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में चूंकि प्रथम अपील दिनांक 01.10.2007 को प्रस्तुत की गई थी, अतः अपीलार्थी को उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और प्रथम अपील के केवल 12 दिवस बाद ही उसकी द्वितीय अपील प्रस्तुत किया जाना नियमानुकूल नहीं था । फिर भी चूंकि सुनवाई के समय यह अवधि पूर्ण हो गई थी, अतः द्वितीय अपील की सुनवाई प्रारंभ की गई और 15 दिवस में पूर्ण जानकारी निःशुल्क देने के निर्देश दिये गये थे । प्रकरण की सुनवाई में एक नस्ती जॉच हेतु जब्ती में होना बताया गया, किन्तु उसके संबंध में नगरीय संचालनायल के दो विरोधाभाषी उत्तर मिले, अतः उन्हें भी सुनवाई हेतु बुलाया गया । प्रकरण में इस बीच नस्ती का निःशुल्क निरीक्षण कराने के निर्देश दिये गये और विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 31.12.2008 को प्रस्तुत किया गया । प्रति अपीलार्थी को संबंधित नस्ती संचालनालय से सही स्थिति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये तथा उन्होंने दिनांक 30.12.2008 को प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में यह बताया कि अधीक्षण यंत्री के कार्यालय में जॉच की कार्यवाही दिनांक 30.08.2008 से प्रारंभ हुई थी, जो अभी–भी चल रही है तथा वहॉ जवाब हेतु नस्तियॉ प्रस्तुत की जाती रही है और वहीं नस्तियॉ रखी जाती है तथा दिनांक 15.05.2008 को अधीक्षण यंत्री ने उपस्थित होकर नस्ती प्रस्तुत करने की अनुमति मॉगी, तत्पश्चात् दिनांक 01.09.2008 को आयोग में नस्ती प्रस्तुत की गई ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अपीलार्थी ने यह कहा कि शपथ पत्र जिन बिन्दुओं पर मॉगा गया था, उन बिन्दुओं पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । अधीक्षण यंत्री ने बताया कि नस्तियॉ दिनांक 16.06.2006 से 20.05.2007 तक उनके यहॉ थी तथा श्री नेभवाणी को जो पत्र नस्तियॉ नहीं मिलने के संबंध में गया वह जन सूचना अधिकारी, संचालनालय से असावधानीवश जारी किया गया था, अतः उन्हें भविष्य हेतु सतर्क करने के निर्देश दिये गये । चूंकि अधीक्षण यंत्री ने दिनांक 16.06.2006 तक उनके यहॉ नस्ती रहना बताया, अतः यह निश्चित है कि नगर पंचायत में नस्तियॉ वापस चली गई थी, अतः जन सूचना अधिकारी ने जो उत्तर प्रस्तुत किया है वह अपने स्थान पर संतोषप्रद नहीं है और नस्ती उनके पास थी तो उसका अवलोकन कराकर उन्हें समयावधि में जानकारी देना चाहिए था । अतः इस संबंध में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी को दोषी पाया जाकर अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन पर दो हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी, आरंग को यह भी निर्देश दिये जाते है कि अभी कोई अन्य जानकारी देना शेष हो तो उसका निःशुल्क निरीक्षण कराया जाकर 15 दिवस में निःशुल्क जानकारी प्रदान की जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर पंचायत की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com